



डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बन्धन/ 4124/17

दिनांक:..5...10...2017..

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
कृष्ण मोहन मेडीकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल
पाली डूंगरा, सौख रोड़
मथुरा।

महोदय,

अनुसचिव, गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या: U-12011/13/2016-ME.I दिनांक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत चिकित्सा शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0बी0बी0एस0 (150सीट) पाठ्यक्रम/विषयों में सत्र 2016-17 (दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक) एक वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त संस्थान को सत्र 2016-17 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित कमियों के साथ सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. प्राचार्य, शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं।
2. प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं हैं।
3. वर्ष 2016 की बैलेंस शीट संलग्न नहीं हैं।

उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर, निर्माण भवन, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

- (1) This permission of the Central Government is accorded initially for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to the verification of the achievement of annual targets as indicated in the scheme submitted by the institute and regulations made in this regard. This process of renewal of permission will continue till such time the establishment of medical college and expansion of hospital facilities are completed.
- (2) The applicant should provide all infrastructural facilities in terms of teaching and non-teaching staff] building, equipment and hospital facilities as per Medical Council of India norms as notified from time to time.
- (3) The applicant should provide requisite Bank-Guarantee and other document as per IMC Act, 1956 & Regulations framed thereunder directly to the MCI.
- (4) Admissions made in violation of the above conditions will be treated as irregular and shall be laible for action under IMC Act, 1956 & Regulations mader thereunder.

यदि प्रबन्धतंत्र उपरोक्त वार्षित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव
22-10-17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- सचिव, मेडीकल काउंसिल आफ इण्डिया, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 4- निजी सचिव कुलपति।
- 5- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
- 6- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।
- 7- वेवसाइट प्रभारी।

कुलसचिव